

**कार्यालय आदेश**

कोयला मंत्रालय के अपीलीय प्राधिकारियों/सीपीआईओ की नियुक्ति के संबंध में पिछले आदेशों के आंशिक अधिक्रमण में, निम्नलिखित अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) और धारा 19 (1) के तहत कोयला मंत्रालय के संबंधित अनुभागों के अपीलीय प्राधिकारी/सीपीआईओ के रूप में नामित किया गया है:-

अनुभाग	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)	अपीलीय प्राधिकारी
आईएफडी एंव रोकड़	सुश्री अलका शेखर, अवर सचिव	श्री सुधीर बाबू मोटाना, उप सचिव
ईए	श्री बी नायक, उप निदेशक	श्री मनोज कुमार गुप्ता, उप सचिव
सीपीडी	श्री सुजीत कुमार, अवर सचिव	श्री मारापल्ली वेंकटेश्वरलू, निदेशक
सतर्कता	श्री एस, भट्टाचार्य, अवर सचिव	श्री महेंद्र प्रताप, निदेशक
सीपीआईएम	श्री हिटलर सिंह, अवर सचिव	श्री अमरेश पाण्डे, निदेशक (तकनीकी)
एमपीएस	श्री हिटलर सिंह, अवर सचिव	श्री अमरेश पाण्डे, निदेशक (तकनीकी)
सीसीटी	श्री हिटलर सिंह, अवर सचिव	श्री अमरेश पाण्डेय, निदेशक (तकनीकी)
सीए	सुश्री अलका शेखर, अवर सचिव	श्री आर एस सरोज, निदेशक
आईसी	श्री गुलशन कुमार, अनुभाग अधिकारी	श्री मनोज कुमार गुप्ता, उप सचिव
पीएंडएस-I	श्री रिशन रिंताथियांग, अवर सचिव	श्री अजितेश कुमार, निदेशक
पीएंडएस-II	श्री रिशन रिंताथियांग, अवर सचिव	श्री अजितेश कुमार, निदेशक
प्रशासन	श्री किशोर कुमार, अवर सचिव	श्री बिजाय सामंता, उप सचिव
स्थापना प्रभाग	श्री किशोर कुमार, अवर सचिव	श्री डी.के. सोलंकी, उप सचिव
सीएसआरएंडडब्ल्यू	श्री राम प्रसाद, अवर सचिव	श्री मनोज कुमार गुप्ता, उप सचिव
सीएमपीएफ	श्री आलोक वर्मा, अवर सचिव	श्री बिजाय सामंता, उप सचिव
एनए	श्री मनीष उनियाल, अवर सचिव	श्री अजितेश कुमार, निदेशक
एलएंडआईआर	श्री सेवक पॉल, अवर सचिव	श्री आर एस सरोज, निदेशक

	अनुभाग अधिकारी	निदेशक
समन्वय	श्री आलोक वर्मा, अवर सचिव	श्री डीके सोलंकी, उप सचिव
हिंदी	श्री मनोज कुमार सिन्हा, उप निदेशक	श्री भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव
एसडीसी एंड जस्ट ट्रांजिशन	श्री मनीष उनियाल, अवर सचिव	श्री डीके सोलंकी, उप सचिव
आईटी एंड मीडिया सेल	श्री आलोक वर्मा, अवर सचिव	श्री बिजॉय सामंता, उप सचिव
सांख्यिकीय प्रभाग	श्री अंकित कुमार जैन, सहायक निदेशक	सुश्री संतोष, उप महानिदेशक

2. सभी सीपीआईओ/एफएए से अनुरोध है कि वे समन्वय अनुभाग के दिनांक 7 दिसंबर, 2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में लंबित आरटीआई और प्रथम अपील के निपटान पर पूर्व निर्देशों के साथ-साथ उपरोक्त सूची के अनुसार नए आरटीआई लेखाओं का प्रभार लेने से पहले अपने मौजूदा आरटीआई लेखाओं का निपटान करें।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अनुलग्नक: उपरोक्त के अनुसार

(आलोक वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

ई-मेल alok.verma07@gov.in

प्रति,

1. कोयला मंत्रालय के सभी अपीलीय प्राधिकारी/सीपीआईओ
2. तकनीकी निदेशक - कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
3. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड